BPSC Polity–2023

By : Karan Sir

राज्यों का संघ (Union of States)

- **संवैधानिक उपबंध:** भारतीय संविधान के भाग-1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्यक्षेत्र का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 1 : संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

- संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। जिसमें 'भारत' शब्द देश का नाम व 'संघ' शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है।
- राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

भारत के राज्यक्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे-

1. राज्यों के राज्यक्षेत्र
2. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र
3. ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किये जाएँ।

भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है, क्योंकि-

- अमेरिका के विपरीत भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है।
- कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिये स्वतंत्र नहीं है भारत 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में विभाजन के पश्चात् केंद्रयुक्त संघीय व्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोणों को माना गया है।

अनुच्छेद 2 : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

- संसद, विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है।
- अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को दो प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और द्वितीय, राज्यों को स्थापित करने की शक्ति । पहले का संबंध उन राज्यों से है, जो पहले से ही विद्यमान हैं। दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित हैं परंतु भारत संघ में शामिल नहीं हैं।
- अनुच्छेद 2 क- सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था, जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया।

अनुच्छेद 3: नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

1. किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
2. किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है।
3. किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है।
4. किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
5. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है।

- अनुच्छेद 3 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है क्योंकि राज्यों का अस्तित्व ही संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। खास बात यह है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने या उनका नाम बदलने के लिये संसद को विशेष बहुमत (Special Majarity) की भी जरूरत नहीं है; वह ऐसा साधारण बहुमत (Simple Majority) से ही कर सकती है।

राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने की प्रक्रिया (Procedure for changing names, boundaries or areas of the states)

- अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं का नामों आदि में परिवर्तन करने के लिये संसद को एक निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जिसके विभिन्न चरण इस प्रकार हैं-
- किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाएँ बदलने के लिये कोई भी विधेयक (Bill) संसद में तभी पेश किया जा सकता हैं जब राष्ट्रपति उसके लिये सिफारिश करे।
- विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य या उन राज्यों के विधानमंडलों को विचार हेतु भेजना होगा। राष्ट्रपति इस विचार - प्रक्रिया के लिये समय-सीमा भी निर्धारित करेगा। ध्यातव्य है कि यह उपबंध मूल संविधान में नहीं था। इसे '5वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1955 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
- अन्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए वह विधेयक वापस भेजना होगा। "राष्ट्रपति" यदि चाहे तो निर्दिष्ट समय सीमा को बढ़ा भी सकता है।
- यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

- यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित या पुन: बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर अपने विचार राष्ट्रपति को भेज देता है तो भी संसद उन विचारों को मानने के लिये बाध्य नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने साधारण बहुमत से राज्य के विधानमंडल की राय के विरुद्ध जाकर उसके भू-भाग या नाम आदि को बदल सकती है।
- अगर किसी संघ राज्यक्षेत्र के क्षेत्र, सीमा या नाम आदि का परिवर्तन ख्र किया जाना है तो ऐसा विधेयक किसी विधानमंडल या अन्य संस्था को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है।
- संसद अपनी इच्छा से ऐसा कदम उठा सकती है।

भारत संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन देशी रियासतों का एकीकरण (Integration of the IndianStates)

- स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्यक्षेत्र दो वर्गों में विभक्त था ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें । ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासतें थीं, जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गई। भु शेष तीन रियासतों जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू-कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
- विभाजन के उपरांत भारत व पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र व पृथक् 'राज्यों' का निर्माण हुआ; देशी रियासतों को तीन विकल्प दिये गए। पहला, भारत में सम्मिलित हों, दूसरा, पाकिस्तान में शामिल हों या तीसरा, स्वतंत्र रहें।
- जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर को क्रमश: जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई (ऑपरेशन पोलो) एवं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके बाद में मिलाया गया।

मूल संविधान (1949) में भारतीय संघ के राज्यों का राष्ट्रीय वर्गीकरण

[Classification of States of the Union ,ऐसे of India in the original Constitution (1949)]

भाग-'क' में राज्य:- ये वे राज्य थे जिन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम में 'प्रांत' कहा गया अर्थात् ब्रिटिश भारत में जहाँ गवर्नर का शासन था।

भाग-'ख' में राज्य:- बड़े आकार की देशी रियासतों को रखा गया, जैसे- हैदराबाद और मैसूर !

भाग-'ग' में राज्य:- ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन व कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र (छोटी रियासतें)

भाग-'घ' में राज्य:- इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्यक्षेत्रों (Acquired Territories) के लिये किया गया था। आरंभ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें शामिल किया गया। ('अर्जित' से अभिप्रेत है- अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विधि के अनुसार अर्जित)

❖ राज्य पुनर्गठन आयोग (State Reorganization Commission) धर आयोग

- जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में 'भाषायी प्रांतीय आयोग' का गठन हुआ। दिसंबर 1948 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषायी न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई।
- इससे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद और गहराया एवं दिसंबर 1948 में ही एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल तथा पट्टाभि सीतारमैया के नेतृत्व में गठित की गई, जिसे 'जे.वी.पी. समिति' भी कहते हैं। समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिये स्थगित कर दिया गया।
- परंतु 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु (कांग्रेसी नेता) के निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषायी आधार पर विभाजित कर तेलुगूभाषी पृथक् राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ।

फजल अली आयोग:-

- दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग के अन्य दो सदस्यों में के. एम. पणिक्कर और एचएन कुंज सम्मिलित थे। इस आयोग ने ने 1955 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को) स्वीकारा गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा' के सिद्धांत को अस्वीकार व कर दिया गया।
- राज्य पुनर्गठन आयोग ने दो वर्षों तक गहन चिंतन व अनुसंधान किया तथा वह निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचा-
- केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिये बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security). वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता (Financial and Administrative Efficiency) को प्रमुखता मिलनी चाहिये।
- भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तर्कत भी व्यावहारिक नहीं है। वस्तुत: ऐसा कोई भी राज्य बनाना प्राय: असंभव है जो पूर्णत: एकभाषी (Unilingual) हो क्योंकि-
- एक भाषा को बोलने वाले सभी व्यक्ति भौगोलिक रूप से इस तरह इकट्ठे नहीं रहते हैं कि उस स्थान को राज्य बनाया जा सके।
- एक भाषा का अधिक उपयोग करने वाले क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी जनसंख्या जरूर रहती है जो किसी अन्य भाषा का प्रयोग करती है। इस कारण अधिकांश क्षेत्र 'मिश्रित भाषा क्षेत्र' (Mixed Language Areas) हैं।
- किन्हीं भी दो भाषायी क्षेत्रों के मध्य में एक ऐसा क्षेत्र जरूर पड़ता है जहाँ दोनों भाषाओं के प्रयोक्ता मिश्रित रूप में रहते हैं। ऐसे स्थानों को एकभाषी राज्यों के तर्क के अनुसार बाँटना असंभव है।

1956 के बाद बने नए राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का विवरणः-

संघशासित प्रवेश/ वर्तमान राज्य	कब / सन्	किन राज्यों से कब / सन् पृथक् किसका शासन
महाराष्ट्र और गुजरात	1960 में	बंबई से
दादरा एवं नगर हवेली	1961 में (10वें संविधान पूर्व में पुर्तगालियों का शासन संशोधन द्वारा)	पूर्व में पुर्तगालियों का शासन
योवा, दमन और दीव	1962 में गोवा को संघशासित क्षेत्र और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ	
पॉण्डिचेरी(वर्तमान पुदुच्चेरी)	14वां संविधान पहले (फ्राँसीसियों का संशोधन, 1962 द्वारा संघशासित प्रदेश बना	पहले (फ्राँसीसियों का संशोधन, 1962 द्वारा संघशासित प्रदेश बना शासन); कराइकल, माहे और यनम को पॉण्डिचेरी माना गया
16वाँ राज्य नगालैंड	1963 में	नागा पहाड़ियाँ एवं त्वेनसांग क्षेत्र को सम्मिलित कर
17वाँ राज्य हरियाणा	1966 में	पंजाब से
केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़	1966 में	पंजाब से
18वाँ राज्य हिमाचल क्षेत्र	1971 में	पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र से अलग
19वाँ राज्य मणिपुर	1972	
20वाँ राज्य त्रिपुरा	1972	
21वां राज्य मेघालय	22 वें संविधान संशोधन, 1969 द्वारा स्वायत्तशासी प्रदेश 1972 में पूर्णराज्य	
22वाँ राज्य सिक्किम	35वाँ संविधान संशोधन, 1974 द्वारा 'सह राज्य का दर्जा तथा 36वाँ संविधान संशोधन, 1975 द्वारा 'पूर्ण राज्य' का दर्जा	पूर्व में चोग्याल वंश का शासन था
23वाँ राज्य मिजोरम	1987 में	
24वाँ राज्य अरुणाचल क्षेत्र	1987 में	
25वां राज्य गोवा	गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा	
26वाँ राज्य छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा (1 नवंबर)	मध्य प्रदेश से पृथक्
27वाँ राज्य उत्तराखंड	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (9 नवंबर)	उत्तर प्रदेश से पृथक्
28वां राज्य झारखंड	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा (15 नवंबर)	बिहार सेक
29वां राज्य तेलंगाना	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा (2 जून)	आंध्र प्रदेश से

❖ **राज्य (State)**

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल,

❖ **संघ एवं अन्यक्षेत्र (Union Territories)**

1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
2. चंडीगढ़
3. दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
5. लक्षद्वीप
6. पुदुच्चेरी [(पूर्व में पॉण्डिचेरी)नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 द्वारा]
7. जम्मू और कश्मीर
8. लद्दाख

● दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (केंद्रशासित प्रदेशों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विलय) अधिनियम, 2019 के 26 जनवरी, 2020 से लागू होने के पश्चात केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को राज्य क्रम में ख्र 'जूनागढ़' 'हैदराबाद', 'जम्मू- कश्मीर'-
(a) पुलिस कार्रवाई, जनमत संग्रह, विलय पत्र
(b) विलय पत्र, जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई
(c) जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई, विलय पत्र
(d) जनमत संग्रह, विलय पत्र, पुलिस कार्रवाई

2. किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का संघ होगा?
(a) अनुच्छेद 3 (b) अनुच्छेद 2
(c) अनुच्छेद 5 (d) अनुच्छेद 1

3. नीचे दिये गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन-सा है?
(a) सिक्किम-अरुणाचल प्रदेश नगालैंड-हरियाणा
(b) नगालैंड-हरियाणा - सिक्किम - अरुणाचल प्रदेश
(c) सिक्किम हरियाणा-नगालैंड- अरुणाचल प्रदेश
(d) नगालैंड- अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हरियाणा

4. सिक्किम भारत का एक 'संबद्ध राज्य' बनाया गया था-
(a) 30वें संशोधन के अंतर्गत
(b) 32वें संशोधन के अंतर्गत
(c) 35वें संशोधन के अंतर्गत
(d) 42वें संशोधन के अंतर्गत

5. निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत् भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया?
(a) 34वें (b) 35वें
(c) 36वें (d) 374वें

6. छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में आया-
(a) 1 नवंबर, 2000 को (b) 9 नवंबर, 2000 को
(c) 10 नवंबर, 2000 को (d) 1 जनवरी, 2000 को

7. निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है:
(a) नगालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
(b) मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम
(c) अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम, मेघालय
(d) सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय

8. भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी?
(a) 1856 (b) 1953
(c) 1957 (d) 1960

9. निम्न में से एक कथन असत्य है। बताइये-
(a) मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया।
(b) गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया।
(c) बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया।
(d) हिमाचल प्रदेश पहले संघशासित प्रदेश की सूची में था।

10. निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है:
(a) महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात
(b) हरियाणा, राजस्थान, गुजरात
(c) राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा
(d) हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान

11. निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है?
(a) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
(b) दमन और दीव
(c) गोवा
(d) पुदुच्चेरी

बिहार द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की माँग

(Demand of Special State Status by Bihar)

☛ बिहार द्वारा वर्ष 2000 में विभाजन के पश्चात् से ही विशेष राज्य के दर्जे की माँग हमेशा उठती रही हैं इसको लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री नीतिश कुमार काफी सक्रिय व मुखर रहे हैं। कुछ हद तक यह माँग उचित भी है, क्योंकि झारखंड के अलग हो जाने के बाद सभी प्रमुख संसाधन वाले क्षेत्र उधर चले गए तथा बिहार संसाधनविहीन हो गया, विशेषकर प्रमुख धात्विक खनिजों के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त इसके उत्तरी-पूर्वी भाग में आने वाले प्रतिवर्ष की बाढ़ से ही हमेशा अपार जन-धन की हानि होती है। अत: इन सब परिस्थितियों से बिहार को उबरने में यह विशेष राज्य का दर्जा सहायक हो सकता है।

☛ इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा 4 अप्रैल, 2006 को विधानसभा से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसमें अन्य 'विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त' (कुल 11) राज्यों के आधार पर ही बिहार को भी यह दर्जा देने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) द्वारा समय-समय पर कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ राज्यों को यह दर्जा प्रदान किया जाता रहा है। ये मानदंड निम्नलिखित हैं-

- भौगोलिक विलगाव वाले क्षेत्र
- अगम्यता वाले क्षेत्र
- संसाधनों की कमी वाले क्षेत्र
- आधारभूत संरचना की कमी वाले क्षेत्र

mYy§kuh; gSd fo'kskjkT; dsntZsdsvaxZ xkMfxy&eq[kthZ dksvk/kkj cukdj Hkkjr ljdkj }kjk jkT;ksadksl gk;rk nh tkrh gSftlesadsUnzdh l gk;rk 90» vuqnku ds:i esa rFkk 10» Í.kds:i esanh tkrh gSA

बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिये आधार

बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिये आधार निम्नलिखित हैं-

- राज्य की बदहाल आर्थिक स्थिति
- आधारभूत संरचना की कमी
- प्रतिवर्ष आने वाली आपदा (बाढ़ व सूखा) के कारण व्यापक क्षति
- गरीबी व बेरोजगारी की उच्च दर
- महत्वपूर्ण धात्विक संसाधनों की कमी

विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित रघुराम राजन समिति की सिफारिश (Recomendation of Raghuram Rajan Committee related to special state status)

इस समिति का गठन मई 2013 में किया गया था, जिसने 26 सितंबर, 2013 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने विशेष राज्य के दर्जे के लिये बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) को आधार बनाने की सिफारिश की, जिसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं-

- महिला साक्षरता दर
- नगरीकरण की दर
- गरीबी का स्तर
- मूलभूत घरेलू सुविधाएँ, जैसे- पेयजल, शौचालय
- प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च
- स्वास्थ्य का स्तर
- शिक्षा का स्तर
- वित्तीय समावेशन
- परिवहन की व्यवस्था
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति की समस्या

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था-
(a) 30वें संशोधन के अंतर्गत
(b) 32वें संशोधन के अंतर्गत
(c) 35वें संशोधन के अंतर्गत
(d) 42वें संशोधन के अंतर्गत
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

2. केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किये जाते हैं?
(a) राष्ट्रपति
(b) प्रधानमंत्री
(c) उपराष्ट्रपति
(d) उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर)
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

3. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वाँ राज्य है?
(a) उत्तरांचल (b) झारखंड
(c) छत्तीसगढ़ (d) इनमें से कोई नहीं

4. हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है?
(a) अनुसूची- एक (b) अनुसूची- सात
(c) अनुसूची- नौ (d) अनुसूची- दस

5. किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वाँ राज्य बना?
(a) 1962 ई. (b) 1967 ई.
(c) 1971 ई. (d) 1975 ई.

6. संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस/किन नाम/नामों से किया गया है?
(a) भारत तथा इंडिया (b) केवल भारत
(c) हिंदुस्तान तथा भारत (d) भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

7. निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे?
(a) फज़ल अली (b) के.एम. पणिक्कर
(c) पट्टाभि सीतारमैया (d) हृदयानाथ कुंजरू
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

8. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया?
(a) मध्यप्रदेश और तेलंगाना (b) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
(c) तमिलनाडु और छत्तीसगढ़
(d) उत्तर प्रदेश और तेलंगाना
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

9. 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
(a) फज़ल अली (b) के.एम. पणिक्कर
(c) पट्टाभि सीतारमैया (d) हृदयानाथ कुंजरू
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक